चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 30.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

(2). आज दिनाँक 30.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में महाकुंम्भ 2025 प्रयागराज को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग तथा बार्डर पर बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेंकिग की गयी।

(3). आज दिनाँक 30.01.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस उपाधीक्षक प्रज्ञान श्री अजेय कुमार शर्मा की उपस्थिति में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की पुण्यतिथि(शहीद दिवस) एवं स्वतन्त्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहूति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। पुलिस अधीक्षक द्वारा शहीदों की याद में पुलिस कार्यालय में नियुक्त समस्त कर्मियों के साथ 02 मिनट का मौन धारण किया गया।
इस दौरान प्रधान लिपिक श्री अनिल मोहन शुक्ला,प्रभारी आंकिक श्री अमृतलाल सरोज,पीआरओ श्री प्रवीण सिंह,पीआरओ श्री प्रदीप पाल उपस्थित रहे।
इसी क्रम में जनपद के समस्त थाना/चौकी/कार्यालयों में शहीद दिवस के पर श्रद्धांजलि अर्पित कर 02 मिनट का मौन धारण किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में मौनी अमावस्या मेला को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा अपने परिजनों से बिछड़ी 03 महिलाओं व 01 बालक को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया जिसमें 1.भरतमिलाप मंदिर पर इन्दु निम्बलांकर अपने परिवार से बिछड़ गयी थी जिन्हे ड्यटी पर तैनात प्रभारी निरीक्षक जनसूचना सेल निरीक्षक श्री जयप्रकाश उपाध्याय, उ0नि0 श्री अनूप शुक्ला,आरक्षी शुभम शुक्ला द्वारा महिला के परिजनों को सम्पर्क कर सकुशल सुपुर्द किया 2.उर्मिला डेहरिया निवासी बलारी चौराहा हरवंशपुरी झगरा शिमनी लक्ष्मण पहाड़ी के पास अपने परिवार से खो गई थी 3.कैलाशी पटेल निवासी नदनाहा थाना भौती जिला शिवपुरी कामतानाथ मंदिर से खो गई थी ड्यूटी पर तैनात महिला आरक्षी अंजली द्वारा परिवार से सम्पर्क कर शनि शिला के पास उनके परिवार से सकुशल सुपुर्द किया गया, 4.डुग्गू सिंह रजावत पुत्र प्रदीप सिंह राजावत उम्र 07 वर्ष जनपद भिंड मध्य प्रदेश अपने माता पिता से बिछड़ गया था जिसे ड्यूटी पर तैनात उ0नि0 श्री उत्कर्ष सिंह,महिला आरक्षी रीता यादव,महिला आरक्षी प्रियंका सिंह,आरक्षी विवेक कुमार द्वारा जरिए मोबाइल नंबर से संपर्क करके पिता प्रदीप सिंह रजावत को सुपुर्द किया गया।

(5). आज दिनांक 30.01.2025 को जिलाधिकारी श्री शिवशरणप्पा जी0एन0,पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी द्वारा मौनी अमावस्या व महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज को देखते हुए सकुशल संपन्न कराने के लिए बेडी पुलिया, रामघाट,परिक्रमा मार्ग,धार्मिक स्थलों पर लगातार भ्रमणशील होकर श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या न होने पाए, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित करते हुए की मेला को सकुशल संपन्न करना हम सभी का दायित्व है उन्होंने श्रद्धालुओं से भी अपील कि आप लोगों की सहयोग की अपेक्षा रहेगी जिससे कि मेला को सकुशल संपन्न कराया जा सके। उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट को भी निर्देशित किया कि भीड़ इकट्ठी ना होने पाए उनके गंतव्य तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है कहां की श्रद्धालु जनपद से एक अच्छा संदेश लेकर जाएं।

(6). आज दिनांक 30.01.2025 समय लगभग 5.00 बजे सुबह अरवारी पानी टंकी के पास से सड़क दुर्घटना में एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष अज्ञात वाहन से दुर्घटना हो जाने के उपरान्त अज्ञात व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष की दौराने इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मृत्यु हो गयी है । पंचायतनामा व आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। परन्तु अज्ञात व्यक्ति की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पायी है।

अतः अनुरोध है कि अज्ञात व्यक्ति के शव की शिनाख्त होने पर नीचे अंकित मो0नं0 पर सूचना देने की कृपा करें।

(यामीन अहमद)
क्षेत्राधिकारी मऊ
जनपद चित्रकूट
मो0नं0-9454401357,9305101115
(पंकज तिवारी)
थानाध्यक्ष बरगढ़
मो0नं0-9305101105,9454403204

(7). आज दिनांक 30.01.2025 समय लगभग 02.29 बजे सुबह थाना मऊ जनपद चित्रकूट प्राप्त मेमो के अनुसार सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति उम्र लगभग 50 वर्ष को रेलवे स्टेशन कटैयाड़ांडी से ट्रेन से गिर जाने के कारण अज्ञात व्यक्ति को रेलवे सुरक्षा विशेष बल द्वारा डायल 102 एम्बुलेंस से अज्ञात व्यक्ति को गम्भीर हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया था जिसकी दौराने इलाज अज्ञात व्यक्ति उम्र लगभग 50 वर्ष का मृत्यु हो गयी है।पंचायतनामा व आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। परन्तु अज्ञात व्यक्ति उपरोक्त की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पायी है।

अतः अनुरोध है कि अज्ञात व्यक्ति के शव की शिनाख्त होने पर नीचे अंकित मो0नं0 पर सूचना देने की कृपा करें।

(यामीन अहमद)
क्षेत्राधिकारी मऊ
जनपद चित्रकूट
मो0नं0-9454401357,9305101115
(पंकज तिवारी)
थानाध्यक्ष बरगढ़
मो0नं0-9305101105,9454403204

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गजबेय आलम व उनकी टीम द्वारा नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 16.01.2025 को कोतवाली कर्वी अन्तर्गत ग्राम निवासी वादिया द्वारा कोतवाली पर सूचना दी कि उनकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया। इस सम्बन्ध में कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 29/2025 धारा 137(2) एक्ट बीएनएस पंजीकृत किया गया। आज दिनाँक 30.01.2025 को अभियुक्त हनी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.उ0नि0 श्री गजबेय आलम
2.मुख्य आरक्षी बृजेन्द्र कुमार

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट

श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 104/2020 धारा 498ए,304(B),316,323 भादवि0 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त 1. गंगा उर्फ गंगादीन पुत्र देवनाथ 2. हनुमान पुत्र गंगा उर्फ गंगादीन 3.रामदुलारी पुत्री गंगा उर्फ गंगादीन निवासी शिवपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 14 वर्ष का सश्रम कारावास व 12-12 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं अभियुक्ता गुडिया पुत्री गंगा उर्फ गंगादीन निवासी उपरोक्त को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनाँक 02.06.2020 को वादी ज्ञानचन्द्र पुत्र अजय ग्राम ताड़ी थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दिया गया कि आरोपीगण द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग करना व प्रताड़ित करना दहेज की मांग पुरी न होने पर पुत्री गीता के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जला देना जिससे इलाज के दौरान उसके गर्भ गिर गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मऊ में मु0अ0सं0 104/2020 धारा 498ए,304(B),316,323 भादवि0 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी मऊ श्री इसतियाक अहमद द्वारा संपादित की गयी। विवेचक द्वारा अभियुक्त गंगा उर्फ गंगादीन, हनुमान, रामदुलारी उपरोक्त को को गिरफ्तार कर दिनाँक 26.08.2020 को अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था।

(10). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय,प्रभारी मानिटरिंग सेल श्री विनोद कुमार शुक्ल एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायधीश/एफटूसी न्यू श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 299/2014 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. सुरेश 2. रमेश पुत्रगण सूरजपाल निवासीगण ठाकुरदीन का पुरवा मजरा संग्रामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 04-04 वर्ष का कारावास 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 18.04.2014 को तत्कालीन निरीक्षक श्री शिववचन सिंह द्वारा आरोपी अभिमन्यु सुरेश व रमेश उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 299/2014 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री शशीद्र प्रसाद शुक्ला द्वारा की गयी, विवेचक द्वारा दिनाँक 27.10.2014 को आरोपियो के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(11). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में मौनी अमावस्या मेला को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा अपने परिजनों से बिछड़ी 01 बुजुर्ग महिला को सकुशल परिजनों को सुपुर्द किया

उल्लेखनीय है कि आज दिनाँक 30.01.2025 को एक बुजुर्ग महिला जो बेडी पुलिया पर लोगों से अपने बस के बारे में पूछते हुए भटक रही थी कि आरक्षी शरद यादव व आरक्षी निशान्त भिलवार द्वारा महिला से पूंछा गया तो महिला द्वारा बताया गया कि मेरी बस व परिजन मुझसे बिछड़ गये है। इस पर बुजुर्ग महिला से उसका नाम पता पूछा गया तो महिला अपना नाम सुशीला खंगार पत्नी कन्हैया लाल उम्र 80 वर्ष निवासी ग्राम घनौरा गुरसराय जनपद झांसी बतायी। उपस्थित आरक्षियों द्वारा प्रभारी निरीक्षक ककरवाई मो0नं0 9454403644 पर सम्पर्क कर बुजुर्ग महिला के बारे में जानकारी की गयी तो प्रभारी निरीक्षक द्वारा बुजुर्ग महिला की पुष्टी करते हुए। परिजनों से बात कर बुजुर्ग महिला को उपलब्ध कराये गये बस नं0 UP 93 AT 1538 को पार्किंग में खोजकर बुजुर्ग महिला को उपरोक्त बस में बैठाया गया।

(12). आज दिनाँक 30.01.2025 को महाकुंभ-2025 को सकुशल संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा धनुष चौराहा पर यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुचारू रुप से संचालित रखने हेतु सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। महाकुंभ 2025 प्रयागराज के दृष्टिगत जनपद में अत्यधिक वाहनों का आवागमन हो रहा। जिसके दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक द्वारा रोड पर लगाये गये दुकानदारों को हिदायत देते हुए कहा गया कि आप लोग इस पर्व को सकुशल सम्पन्न कराये जाने में सहयोग प्रदान करें और अनावश्यक रूप से रोड पर दुकानों को न लगाये ताकि यातायात सुचारू संचालित रहे। श्रद्धालुओं को सुगम यातायात व्यवस्था और कोई जाम की स्थिति न बन पाये तथा धनुष चौराहे पर ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों को बताया गया कि आने जाने वाले श्रद्धालुओं से विनम्र व्यवहार करें और यातायात में जाम की स्थिति न उत्पन्न होने दे।